

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 48/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लि. (पूर्व नाम एयू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजिकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर
साउथेड स्ववायर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल एरिया, जयपुर ।

प्राथी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री मदनलाल
पता :- 041, चार्ड नम्बर 3, गांधी बस्ती, सांभर लेक, फुलेरा, जयपुर।
एवं लम्बी गली, बडा बाजार, सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर।
2. श्री प्रकाश बारीवाल पुत्र श्री मदन लाल
पता :- रैगरो का मोहल्ला, चार्ड नम्बर 04, सांभर लेक, फुलेरा, जयपुर।
3. श्री मदन लाल पुत्र श्री लालाराम
पता :- पोस्ट ऑफिस के पिछे, सांभर लेक, फुलेरा, जिला जयपुर।
4. श्री रतनलाल पुत्र श्री स्थुनाथ रैगर
पता :- पोस्ट ऑफिस के पिछे, रैगरो का मोहल्ला, सांभर, गाउण्ड, जयपुर।

अप्राथीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement
of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्राथी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 14.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्राथी वित्तीय संस्था ने अप्राथी ऋणी को दिनांक 06.04.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्राथी श्रीमती राधा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति लम्बी गली, बडा बाजार, सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 66.05 वर्गगज को बन्धक रख कर 3,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्राथी ऋणी द्वारा प्राथी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अभिविधम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्राथी ऋणी को दिनांक 11.11.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुये। जवाब बहस हेतु अवसर चाहा है। किन्तु आगामी पेशी पर अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 से सारफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, पुष्टि में वित्तीय संस्था के वित्तीय विवरण की प्रति प्रस्तुत की है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 3,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 4,03,065/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 11.11.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अर्धीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती राधा देवी के स्वामित्व की सम्पत्ति लम्बी गली, बडा बाजार, सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर स्थित क्षेत्रफल 66.05 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



8. आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेश विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर